राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/1938/2025	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
2.	P2/1981/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
3.	P2/883/2024	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
4.	P2/83/2024	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1834/2025	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1757/2025	1(a)	विदिशा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
7.	9392/2022	1(a)	अनूपपुर	लेटेराईट एवं ऑकर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
8.	250/2008	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
9.	619/2010	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
10.	8308/2021	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
11.	498/2009	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	2310/2014	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
13.	P2/1470/2025	5(f)	भिण्ड	Synthetic Resin Manufacturing Unit	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
14.	11127/2023	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	11018/2023	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/39/2024	1(a)	मंदसौर	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
17.	P2/874/2024	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	For Guidance	पुनः SEAC को अग्रेषित।
18.	P2/79/2024	1(a)	कटनी	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	P2/1317/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
20.	P2/1083/2025	1(a)	झाबुआ	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु–						
1.	P2/1151/2025	1(a)	शहडोल	अंडरग्राउण्ड कोल माईन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.SIA/MP/MIN/470553/2025, Case No P2/1581/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.80 ha. for production capacity of 12000 cum per year, at Khasra Number- 75/1/2, Village Rangwasa Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.) by Rashmi Mishra, Partner, Shree Prem Infrastructure, R/O-101/ I Block, Ocean Park Nipania Indore M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **844वी बैठक दिनांक 14.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाईन फार्म में मेसर्स श्री प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर श्रीमती रश्मि मिश्रा के नाम से आवेदन किया गया है जबकि फार्म के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में पार्टनर श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। प्राधिकरण द्वारा जब पार्टनरशिप डीड का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि पार्टनरशिप डीड में श्री अनिल कुमार मिश्रा तो मेसर्स श्री प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर में पार्टनर है ही नहीं बल्कि उनकी पत्नि श्रीमती रश्मि मिश्रा 50 प्रतिशत की पार्टनर है। जब श्री अनिल कुमार मिश्रा मेसर्स श्री प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी में पार्टनर है ही नहीं तो द्वारा उनके द्वारा किस पार्टनर की हैसियत से सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर किये गये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक स्पष्टीकरण 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

2. Proposal No.SIA/MP/MIN/471917/2025, Case No. P2/1775/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.90 ha. for production capacssity of 30,000 cum per year, at Khasra No. 1/1, Village- Songuradia Tehsil - Indore, Distt. Indore (MP) by M/s Jhulelal Mine Worksp Ltd, Director Shri Mahesh Lalwani, S/o Shri Jamna Das Lalwani, R/o 1419/1450, Kanadiya Road Nera Sanchar nagar, Kanadia Indore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **844वी बैठक दिनांक 14.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान कुं. ममता रकबा 1.80 हे. एवं श्री सोहन सिंह रकबा 1.10 हें. की स्वीकृत थी जिन्हें प्राधिकरण की 797वी बैठक दिनांक 01.08.2023 में रेनुका माता टेकरी, रहवासी क्षेत्र एवं पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निरस्त किया गया है तथा उक्त खदान भी उसी स्थान पर रहवासी क्षेत्र के पास स्थित है एवं प्रस्तावित कॉलोनी की संरचना भी परिलक्षित है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग भी प्रस्तावित है। प्रकरण में इतनी संवेदनशीलता होने के उपरांत भी किस आधार पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

2. प्रकरण में प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार का शपथ पत्र भी किसी अन्य खदान एवं अन्य परियोजना प्रस्तावक का प्रस्तुत किया गया है जिसका परीक्षण SEAC समिति द्वारा नहीं किया गया।

3. पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण में संबंधित खदान एवं परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र प्रस्तुत न करते हुए किस अन्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 8 के तहत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये असत्य दस्तावेजों के दृष्टिगत पर्यावरण सलाहकार के विरूद्व NABET को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. Proposal No.SIA/MP/INFRA2/468508/2024, Case No. P2/883/2024Prior Environment Clearance for Proposed Project "Sage Corporate Office (Sage Tower)" Construction of Commercial Complex by M/S Sage Enterprises & Sage Associates which is to be developed at Plot No. 51A/7 & 51A/8, Vidhya Nagar, Phase-2, Hoshangabad Road, Teh. - Huzur, District – Bhopal (M.P.). Built-up Area- 29359.66 Square meter, Cat. - 8(a).Shri Sanjeev Agrawal, Partner, Proposed "Sage Milestone" (Residential Apartment) Address Sagar Plaza – 250, G-2, M.P. Nagar-Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.)., Pin- 462011

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में SEAC ने उल्लेख किया है कि "This is referred back case by SEIAA and SEAC present committee has technically discussed thrice, therefore in view of above facts, the committee submits that the MPSEIAA may like to take decision on the project for grant of EC or not." ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 5, 7 एवं 8, Appendix-5 एवं अन्य विधिक के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि SEAC के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में SEAC द्वारा सूक्ष्मता से Appraisal करना आवश्यक है। विधिक प्रावधानों में यह भी स्पष्ट किया है कि SEAC द्वारा प्रकरण में स्पष्ट अनुशंसा की जायेगी (Recommended or Not Recommended)।

SEAC समिति ने ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण का Appraisal कर स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है। SEAC ने प्रकरण को Recommended अथवा Not Recommended करने के बजाये SEIAA को निर्देश दिए है कि SEIAA द्वारा निर्णय लिया जावे। अतः SEAC से अनुरोध है कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरण में सूक्ष्मता से जॉच की जावे एवं Appraisal के बाद स्पष्ट अनुशंसा कर ही प्राधिकरण को प्रेषित किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. Proposal No.SIA/MP/MIN/522630/2025 Case No. P-2/83/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.601 ha. for production capacity of Stone 25,000 cum/year and M-sand-30,000 cum/year, at Khasra No. 84/1, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6 & 84/7, Village-Jhigadi, Tehsil Badwah, District-Khargone (M.P.) by Shri Amit Kanoongo, R/o- 11-Prayag Park Colony, Sanawad, Khargone, Madhya Pradesh- 451111

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन द्वारा पत्र क्र. 1375 दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

5. Proposal No.SIA/MP/MIN/517424/2025, Case No. P2/1834/25Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.10 ha., for production capacity of Stone (Gitti)-15,000 m3/year and M-sand-15,000 m3/year, at Khasra No. 1213, Village- Singot, Tehsil- Khandwa, District- Khandwa (M.P.) by M/s Maa Shakti Buildcon, Partner Shri Avinash Nebhani R/O Padamnagar, Khandwa District Khandwa (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खण्डवा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 19. 12.2018 के माध्यम से दिनांक 18.12.2028 तक की लीज स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.12.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

6. **Proposal No.SIA/MP/MIN/541017/2025, Case No. P2/1757/2025Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) in an area of area of 4.00 Ha. for Expansion Production Capacity from 30612 cum/year to 71423 Cum/year (Gitti - 3061 cum/year & M-Sand- 68362 cum/year), at Khasra No. 109, Village-Aindalpur, Tehsil Kurwai & District Vidisha (MP) by M/s Aadi Yogi Mines Llp, 310, Plot No. 04, Top Floor, Vardhman Taru Plaza, CU Block Local ShopingCenter, Pithampura, Delhi 110034.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है का उल्लेख किया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान श्री सैययद समीर अली रकबा 4.00 हेक्टेयर (प्रकरण क्रमांक 9041/2022) स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 8.0 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है। इसके बावजूद भी SEAC द्वारा प्रकरण में किस आधार पर बी–2 श्रेणी में अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

7. Proposal No.SIA/MP/MIN/532019/2025, Case No 9392/2022 Prior Environment Clearance for Laterite, Ochre & White Clay Mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 7.768 hectare, for Production capacity of Laterite: 10,080 Ton/year, Ochre: 50,200 Ton/year and White Clay: 5,580 Ton/year, at khasra no. 50, 51/1, 51/2, 51/3, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 282, Village Majhauli Tikradudhi, Tehsil Pusprajgarh, District- Anuppur (Madhya Pradesh) by M/s Raj Minerals, Prop. Smt. Ranju Goyal W/o Shri Pradeep Kumar Goyal, Ward No. 9, Dist. Shahdol, MP

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **844वी बैठक दिनांक 14.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत ईआईए प्रतिवेदन Proper Format में नहीं है एवं ईआईए में Baseline data Study, soil Profile आदि की जानकारी नहीं दी गई है।
2. प्रकरण में पर्यावरण सलाहकार बदलने हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र स्टॉप पेपर पर नहीं है एवं नोटराईज्ड भी नहीं है।
3. ईआईए प्रतिवेदन में लीज क्षेत्र में मौजूद 10 पेड़ काटे जाने का उल्लेख है जबकि SEAC द्वारा कार्यवाही विवरण में सिर्फ 5 पेड़ का उल्लेख किया गया जिन्हें काटा नहीं जायेगा अतः दोनो में विरोधाभाष है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओ के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

8. Case No. 250/2008: Prior Environmental Clearance transferred for Limestone Mine in an area of 9.008 ha for production capacity of 40000 MTPA at Khasra No. 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080 at Village - Bhatia, Tehsil - Maihar, District - Satna (MP) to M/s KJS Cement Ltd., Rajnagar, Rewa Road, Maihar District Satna (MP).- Regarding transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

".........After presentation committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. There is no need to refer case for examination to SEAC as no technical/scientific input/examination is required. The OM dated 19/02/2025 reveals as under :-

"The provisions of para 11 of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 states that a prior Environmental Clearance (EC) granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior EC was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases."

In view of above it is mentioned that such cases have to be dealt at SEIAA level in order to maintain time line for disposal of the cases. In case any technical/scientific input is required please informed the specific points.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. Case No. 619/2010, Prior Environment Clearance for Limestone mine(Opencast semi mechanized method) in an area of 10.431 ha, for production capacity of 1.00 lac TPA, at Village Bhatia, Tehsil Maihar, District Satna by M/s KJS Cement Ltd., Shri Pawan Kumar Ahluwalia, MD, VillageAmilia, P.O. & Teh. - Maihar, Distt- Satna (M.P) by KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh. Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (1) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

".........After presentation committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. There is no need to refer case for examination to SEAC as no technical/scientific input/examination is required. The OM dated 19/02/2025 reveals as under :-

"The provisions of para 11 of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 states that a prior Environmental Clearance (EC) granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior EC was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases."

In view of above it is mentioned that such cases have to be dealt at SEIAA level in order to maintain time line for disposal of the cases. In case any technical/scientific input is required please informed the specific points.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

10. Case No. 8308/2021, Prior Environment Clearance forLimestone Quarry(Opencast semi mechanized method) in an area of 23.230 ha. for production capacity of Limestone 560000 Tonne per annum, OB & Waste 60000 Tonne per annum, at Khasra No. 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1033, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 624), Village Bhadanpur South Patti, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) by M/s KJS Cement Ltd, NH-7 Road, Rajnagar, Maihar, Dist. Satna, MP 485771, Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (1) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

".........After presentation committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. There is no need to refer case for examination to SEAC as no technical/scientific input/examination is required. The OM dated 19/02/2025 reveals as under :-

"The provisions of para 11 of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 states that a prior Environmental Clearance (EC) granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior EC was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases."

In view of above it is mentioned that such cases have to be dealt at SEIAA level in order to maintain time line for disposal of the cases. In case any technical/scientific input is required please informed the specific points.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

11. Case No. 498/2009Prior Environment Clearance forLimestone, Laterite, Ochre & White Clay mine(Opencast semi mechanized method) in an area of 23.123 ha. for production capacity of 50000 TPA, at Khasra Nos. (as per leasedeed) at Village Deori, Tehsil-Maihar, Distt-Satna M.P. by M/s KJS Cement Ltd., Village-Amilia, P.O. & Teh. Maihar, Distt- Satna (M.P), Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

".........After presentation committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. There is no need to refer case for examination to SEAC as no technical/scientific input/examination is required. The OM dated 19/02/2025 reveals as under :-

"The provisions of para 11 of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 states that a prior Environmental Clearance (EC) granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior EC was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases."

In view of above it is mentioned that such cases have to be dealt at SEIAA level in order to maintain time line for disposal of the cases. In case any technical/scientific input is required please informed the specific points.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

12. Case No. 2310/14,Prior Environment Clearance for Limestone mine (opencast other than fully mechanized method) in an area 7.316 ha. for production capacity of 464847 TPA (As per SEAC recommendation), at Khasra No. 152, P154, P163, P164, P165, P166, P167, at Village Piprahat, Tehsil - Maihar, Distt. Satna (MP) by M/s. KJS Cement Ltd., Shri A.K. Singh, A.V.P., NH-7, Rajnagar, PO Maihar, Distt. Satna (MP)-485771 Regarding Transfer of EC in the name of M/s KJS Cement (1) Limited, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

".........After presentation committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. There is no need to refer case for examination to SEAC as no technical/scientific input/examination is required. The OM dated 19/02/2025 reveals as under :-

"The provisions of para 11 of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 states that a prior Environmental Clearance (EC) granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior EC was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases."

In view of above it is mentioned that such cases have to be dealt at SEIAA level in order to maintain time line for disposal of the cases. In case any technical/scientific input is required please informed the specific points.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. **Case No. P2/1470/2025 Shri Raman Kumar Poddar, President, M/s ELIXRR Industries Pvt. Ltd., 25 Makers Chamber III, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai (Maharastra)- 400021. Prior Environment Clearance for M/s Elixrr Industries Pvt. Ltd., Proposed Synthetic Resin Manufacturing Unit (Expansion Project).Total Plot area of Total Plot area of 222526 M2 (22.2526 Ha.), at Plot HA1, Malanpur Industrial Area, Village Ghirongi, District Bhind, (M. P.) - 474117. [548152] (EIA)(Query Reply).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर क्षमता विस्तार (Expansion) में आवेदन किया गया है जबकि पोर्टल पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अपलोड नहीं है प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में पूर्व में SEIAA द्वारा कोई पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की गई है इसके उपरांत भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति का आवेदन क्षमता विस्तार के लिये क्यों किया गया तथा SEAC द्वारा आवेदन को क्षमता विस्तार में स्वीकार कर किस आधार पर पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/535182/2025, Case No 11127/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.19 ha. for Production Capacity of- 22800 cum per year, at Khasra No. 57/2/1, 57/2/2, 57/3,84, Village-Birpur Kundeshwar, Tehsil Khandwa, District-Khandwa (MP) by Smt. Nagin Bansal, R/o House No. 13, Madhav Lal Lakshminarayan Marg, Ramkrishan Ganj, Ward No. 18, Purani Anaj Mandi Ke Pichhe, District-Khandwa (MP)-450001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खण्डवा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 03. 10.2018 के माध्यम से दिनांक 23.07.2028 तक की लीज स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.07.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 23 वृक्षों में से काटे जाने वाले 07 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 70 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/535264/2025, Case No 11018/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine(Opencast semi mechanized method) in an area of 4.80 ha. for production Capacity of - 22800 cum per year (as per SEAC recommended), at Khasra No. 96, Village-Birpur Kundeshwar, Tehsil-Khandwa, District-Khandwa (MP), by Smt. Nagin Bansal, R/o House No. 13, Madhav Lal Lakshminarayan Marg, Ramkrishan Ganj, Ward No. 18, Purani Anaj Mandi Ke Pichhe, District-Khandwa (MP)-450001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खण्डवा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 03. 10.2018 के माध्यम से दिनांक 23.07.2028 तक की लीज स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.07.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/544564/2025, Case No. P2/39/2024 Prior Environment Clearance for Laterite and Overburden (Opencast semi mechanized method)in an area of 27.140 ha. for production capacity of Laterite –50179 TPA and Overburden – 1994 TPA, at Khasra No. 106, Village Khejaddiyaa Meghaa, Tehsil –Suwasara District – Mandsaur (M.P) by Shri Himmat Singh, R/o 237 Gram Maukhedi, Tehsil-piploda, District Ratlam (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **844वी बैठक दिनांक 14.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान में काफी संख्या में पेड़ दिखाई दे रहे है एवं खदान के पास में पक्की सड़क, जल रोकने की संरचना व बसाहट भी परिलक्षित है।

खदान क्षेत्र में कुल कितने पेड़ है, किस प्रजाति के है तथा पेड़ों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये है, एवं पेड़ों को काटने व उनके एवज में 10 गुना वृक्षारोपण (Compensatory Plantation) का प्लान वनमण्डला अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाये। साथ ही खदान क्षेत्र के पास स्थित पक्की सड़क, जल रोकने की संरचना व बसाहट के दृष्टिगत जन सामान्य की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये है के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत की जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) **द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/552137/2025, Case No. P2/874/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity of Stone (Gitti) 20000 cum. per annum & M-Sand 20000 cum. per annum, at Khasra No. 998, 1746, Village Kuchdod, Tehsil Jeeran & District Neemuch (M.P.). by Shri Prabudh Bhardwaj, R/o 78 Balaji Enclave - 1, Baghana District Neemuch (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक** 17.11.2025 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

> *"....."in this case deemed TOR is issued. Since related case is pending before hon' Supreme court of India, at sub- judicious stage, hence this case shall be considered on decision or any further guidance from M.P. SEIAA"*

The committee is of considered opinion that this is legal matter hence, SEIAA may decide how to deal with the case as the case ***is pending before Hon'ble Supreme Court of India, at sub- judicious stage.***

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि Deemed Approval से संबंधित प्रकरणों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसके अनुसार जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं होता तबतक Deemed Approval के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/518941/2025, Case No. P2/79/2024 Prior Environmental Clearance for Flagestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.85 ha., for Production Capacity of - 2,349 cum per annum, at Khasra No. 1259, Village- Dang, Tehsil- Rithi Dist- Katni (M.P.) by M/s Khare Stone and Tiles, Shri Kishore Kumar Khare, Partner, Khirhani Phatak, District Katni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रं. 5531–33 दिनांक 01.05. 2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावकं द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/472424/2025, Case No P2/1317/2025 Prior Environment Clearance for Stone Deposit (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.50 Ha., for production Capacity of 15,000 Cu.m./Annum, at Khasra no- 221, Village- Devalgaon Tehsil Gogaon District-Khargone (M.P.) by Shri Vibhav Kumar Arya, Devalgaon Stone Deposit, Vaishnavi colony, Khargone, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र के दोनो ओर वाटर बॉडी परिलक्षित है जिसमें माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के परिपालन में ब्लास्टिंग एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु निर्धारित दूरी के दृष्टिगत तालाब के FTL से निर्धारित दूरी 200 मीटर तक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। इसके बावजूद भी SEAC द्वारा प्रकरण में किस आधार पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/554224/2025, Case No. P2/1083/2025 Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of Stone 34,200 cum/annum & Murum 18,000 cum/annum, at Khasra No. 52/2 (Govt. Land) at Village Bheemfaliya, Tehsil & District Jhabua (M.P.) by Shri Pritam Katara, Lease Owner, R/o- 28, Juni rambhapur District Jhabua (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में ग्राम भीमफलिया के ग्रामवासियों द्वारा खसरा नम्बर 52/2 पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई अनापत्ति के संबंध में ई–मेल दिनांक 11.01.2026 के माध्यम से समाचार पत्रों की प्रति एवं संलग्न दस्तावेजों सहित शिकायत प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्राप्त शिकायत की प्रति जिला कलेक्टर झाबुआ को प्रेषित की जाये तथा जिला कलेक्टर झाबुआ द्वारा शिकायत के बिन्दुओं का परीक्षण कर वास्तविक तथ्यों की वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को 15 दिवस में अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

21. Proposal No. SIA/MP/CMIN/559460/2025, Case No. – P2/1151/2025 Prior Environment Clearance for Underground Coal Mine (Mechanized Method), in an area of 472.065 Ha., for Expansion production capacity from 0.8775 MTPA to 1.4 MTPA (Increment of 0.5225 MTPA), at Khasra No. 127, 128, 129, 130, 113, 115, 116, 122, 123, 118, Village Khairaha, Tehsil Burhar, District Shahdol (MP) by M/s South Eastern Coalfields Limited, Shri Srikrishna Parlpalli, General Manager, Seepat Road, Chhattisgarh-495006.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **857वी बैठक दिनांक** 05.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 857वी बैठक दिनांक 05.01.2026 की विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पर्यावरण स्वीकृति की वैधता भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि की गुणवत्ता का निरंतर आकलन किये जाने हेतु उपयुक्त स्थलों पर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट की स्थापना की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) कोयला खनन प्रक्रिया से उत्पन्न कोलबेड मिथेन का अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(v) कोयला खदान एवं घरेलू व अन्य कारणों से उत्पन्न दूषित जल का निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार कर अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष